

फर्द अहकाम

आशुतोष बनाम जगदीश

दालय

ख्या 212/2022

प्रा. पत्र

ख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/9/22	<p>प्राचीण के वकील ने प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTI धेश दिघा पुकरण दर्ज वाजिस्तर दिघा जाकर अप्राचीण को परि आर्वाड निवेदाज्ञा से पाबंद दिघा जाता है कि वादग्रस्त कायची अमरा नं. 1417 रुका 0.45 है. कुल कित 1 कुल रुका 0.45 है. जो वाले ग्रम कादेडा तहसील पाणसु में प्राची की खातेदारी शुदा स्यानि में किदी की पुकर की दखलादारी कागारी दिनांक 19/10/22 तक न करे. अप्राचीण की तलवी जारी कर पत्रावली दिनांक 23/11/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>हस्ताक्षर</i> उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	
	23/11/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. ए. इन्तजाद तारीख पत्रावली दिनांक 13/12/22 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>हस्ताक्षर</i> उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	
	13/12/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील को सांयकाल 6pm तक बाट- बाट अविाज बगले के बावजूद कोई दायीर अदालत नहीं आया। न ही अन्य कोई पेशवी करने हेतु दायीर अदालत आए। अतः प्रा. पत्र अज्ञा दायी एवं अज्ञा पेशवी में खारिज दिघा जाता है पत्रावली वाद तकमील सम्बन्ध नष्ट हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>हस्ताक्षर</i> उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)</p>	